कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राविशिपरिशिक्षा/ अकादमिक/2021-22/237 **लखनऊ: दिनांक: [illegible]**

/कार्यालय ज्ञाप/

[illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली [illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा [illegible] सत्र 2021-22 हेतु निम्नवर्णित [illegible] प्राविधिक शिक्षा संस्थानों को अनुमोदित प्रवेश दिए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ [illegible] सम्बद्धता सम्बन्धित विवरण प्रदान किए जाने हेतु पत्र [illegible] में परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु नवीनतम नई सम्बद्धता पूर्व में संचालित संस्थानों की सम्बद्धता विस्तार, [illegible] प्रवेश क्षमता वृद्धि समिति सत्र सत्रों पर विस्तार संबंधी हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में नियुक्त संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता पूर्व स्वीकृति अधीन प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है।

संस्था का नाम एवं पता : 1024-B S A COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY NEAR NEW BUS STAND, BHUTESHWAR ROAD, MATHURA.

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	[illegible] सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	MECHANICAL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था [illegible] द्वारा निर्धारित की गयी अन्य शर्तें शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था [illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद, [illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालयों, [illegible] विश्वविद्यालयों द्वारा [illegible] निर्धारित शर्तों एवं [illegible] का अनुपालन करेगी [illegible] द्वारा [illegible] निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित [illegible] शिक्षा समिति द्वारा [illegible] प्रवेश क्षमता [illegible] सत्र 2021-22 [illegible] शिक्षा समिति [illegible] प्रवेश क्षमता [illegible] सत्र 2021-22 [illegible] प्रवेश क्षमता [illegible] प्रवेश क्षमता [illegible] प्रवेश क्षमता [illegible] प्रवेश क्षमता [illegible] निर्धारित [illegible] प्रवेश क्षमता [illegible] निर्धारित [illegible] सत्र 2021-22 हेतु [illegible] का पूर्णतया विलय किया जाना है, जो शर्तें की [illegible] शर्तें [illegible]
- ✓ संस्था की [illegible] प्राविधिक शिक्षा समितियों [illegible] द्वारा [illegible] समिति, संस्था की सम्बद्ध विलय [illegible] विश्वविद्यालयों [illegible] शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संचालित प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा [illegible] शर्तों का ही प्रवेश दिया जायेगा। [illegible] के विरुद्ध [illegible] शर्तों की [illegible] में [illegible] प्रवेश [illegible] के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को [illegible] के निर्देश सम्बन्धित के अनुसार निर्धारित एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को [illegible] के अनुसार निर्धारित [illegible] द्वारा विलय जमा करवाना होगा।
- ✓ संस्था [illegible] प्रवेश [illegible] द्वारा [illegible] [illegible] प्राविधिक शिक्षा, [illegible] अनुमोदन प्रवेश परीक्षा परिषद, [illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद, [illegible] द्वारा [illegible] निर्धारित, विश्वविद्यालयों, [illegible] का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

- ✓ निदेशक द्वारा कार्यालयी व्यवस्थाओं की संस्तुति पत्रों पी.डी.एफ., पढ़ी जिसमें से अनुमोदन प्राप्त करने से व्यवस्था बनती है जो इस संबंध में समाज उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विभिन्न कार्य में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्तर उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की कोई भी उत्तर किसी पत्रों है उस उत्तर पत्र के संबंध में स.. व्यवस्था द्वारा किसी प्रकार की प्रतिकूलि संबंधी व्यवहार निदेश किया पत्र है जो समाज प्रतिकूलि संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ निदेशक द्वारा कार्यालयी व्यवस्थाओं संबंधित करने वाली संस्था को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश व्यवस्था द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए व्यवस्थित प्रवेश परीक्षा हेतु काउंसिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व विज्ञप्ति-पत्रों के अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। व्यवस्था द्वारा व्यवस्था उन्हीं प्रवेश की (काउंसिलिंग के माध्यम से) व्यवस्था संस्था स्तर पर ही होंगे प्रवेश अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नोटिफाइड व्यवस्थाओं निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- ✓ संस्था की व्यवस्थाओं विकासहेतु एवं संस्था की समस्त कार्यवाही जैसे संस्था की प्रिंटिंग्स पुस्तिका पुस्तिका, बजट, खाता-बही, उपस्थिति, प्रवेश विवरण जैसे समस्त कार्य, अध्यापक कार्य, कर्मचारी का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था की विकास,प्रशिक्षण हेतु उपस्थित व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के साथ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समाज व्यवस्थाओं व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रवेशित संबंधित व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध करने वाले अभिलेख, पुस्तिकाएं, फाईलें, उपस्थिति एवं पंजी संस्था द्वारा किसी भाग व्यवस्थाओं के संबंधित में प्रदान किया गया है और परिषद को पूर्णतः सन्तुष्टि होती है कि संस्था उपलब्ध का प्रवेश किसी भाग कार्य के लिए कम पड़ी है जो उपलब्ध संस्था की समस्त व्यवस्था किसी पत्रों की अनुमोदन की जायेगी।
- ✓ संस्था के समस्त निरीक्षण रजिस्टर पंजी संस्था में पुस्तिका, फाइल, प्रमाणपत्रों, उपस्थिति एवं भाग खाता-बही एवं परिषद/निदेशालय/निरीक्षण-समिति के माध्यमानुसार उपलब्ध पंजी पत्र पत्र है जो संस्था की व्यवस्था व्यवस्था कर दी जायेगी।
- ✓ व्यवस्था कार्यों का अनुपालन न किये जाने व्यवस्था कार्यों का उपलब्ध किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार चौरसिया)

सचिव

पृष्ठांकन- प्राविधिक शिक्षा व्यवस्था:2021-3538-4809 दिनांक: 09-04-2021

प्रतिलिपि-

उपरोक्त प्रतिलिपि B S A COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, NEAR NEW BUS STAND, BHUTESHWAR ROAD, MATHURA

(सुनील कुमार चौरसिया)

सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राविधिकपरिषद/सम्बद्धता/2022/7917 लखनऊ: दिनांक: 16/08/2022

(कार्यालय ज्ञाप)

परिषद पत्रावलि उच्च तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थान की सी. अनुसूचित प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30.08.2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु नवीनीकरण नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थान की की सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रमवार प्रवेश क्षमता वृद्धि, समिति भ्रमण सहित पत्रावली प्राप्त किया कराये हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में हेतु संस्थान को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रमवार एवं प्रवेश संख्या वृद्धि प्राप्त करने हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्थान का संक्षिप्त पूरा नाम : 1634-G S.A. COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY			
क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	एम.आई.सी/पी.आई.सी/पी.सी.आई.सी द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	60	60
2	MECHANICAL ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्थान एम.आई.सी/पी.आई.सी/पी.सी.आई.सी द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ/ उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयी, लखनऊ, विश्वविद्यालयी,इलाहाबाद, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालयी,झांसी/ उत्तर प्रदेश-अलग पत्र निर्गत माननीयों का अनुपालन करेगी। उत्तर मुख्य निर्वाचन समिति द्वारा निर्धारित मुख्य तीन समिति प्रवेश पाठ्यक्रमों हेतु न.प्र. 30,000.00/- प्रति/वर्ष, दो समिति सामिति पाठ्यक्रम हेतु न.प्र. 40,000.00/- प्रति/वर्ष एवं एक उच्च दो समिति पाठ्यक्रमों हेतु दो समिति सामिति पाठ्यक्रम के लिए न.प्र.25,000.00/- प्रति/वर्ष मुख्य दो प्रवेश पाठ्यक्रमों के पाठ्य विषय समिति/ उपसमिति के समिति/सामिति पाठ्यक्रमों के मुख्य के पाठ्यक्रम में अलग-अलग पत्र माननीय द्वारा निर्गत किये जाने वाले माननीयों प्रवेशों द्वारा, जैसा अनुसूचित कार्यवाही विवरण पाठ्य पाठ्यक्रम प्रवेश, परिषद निर्धारण समिति द्वारा फीस सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, से फीस की भी भुगतान करे साथ ही।
- ✓ संस्थान में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा माननीय अभ्यर्थी को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्थान को अलग-अलग पत्र निर्गत माननीयों के अनुसार निर्धारित एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत विभिन्नविभागीय-शैक्षिकसम्बन्धितशासनादेशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 उच्च प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा समय समय निर्गत,

निर्धारणार्थ, नकलची एवं निर्देशों का पालन करने के लिए कार्यवाही है।

- ✓ यदि संस्थान का छात्र-अनुज्ञप्ति/पिछड़ा/विमुक्त-अनुज्ञप्ति में अनुपालन नियम लिया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा। और विभिन्न कक्ष में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रतियोगिता शिक्षा परिषद्, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, प्रतियोगिता शिक्षा निदेशालय एवं प्रतियोगिता शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश सरकार के विभागीय परीक्षा बोर्ड का दायित्व लिया जाता है तथा दायित्व का के संबंध में नहीं, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिकूलता संबंधी नकलची निर्णय लिया जाता है तो संस्था प्रतिकूलता संबंधित संस्था की कार्यवाही होगी।
- ✓ संस्थान की संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश की प्रवेश हेतु आवेदित कार्यवाही/विधि प्रवेश हेतु के पूर्व छात्र-अनुज्ञप्ति/पिछड़ा/विमुक्त-अनुज्ञप्ति के अनुपालन द्वारा कार्य परिणाम कार्यवाही की उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही उत्तर प्रदेश सरकार की प्रवेश की प्रवेशार्थियों के सम्बन्ध में प्रवेश परीक्षा के समय परामर्शित प्रवेश, अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत परिपत्र/आदेश निर्देशों का अनुपालन करना कार्यवाही होगा।
- ✓ संस्था की भवनों विस्तारार्थ पर संस्था की समस्त सुरक्षार्थ जैसे संस्था की दीवारों पूरी भूमि, भवन, छात्र-छात्रा, उपकरण, प्रयोग किया जाने वाला सामग्री सुरक्षा, अग्निशमन सुरक्षा यंत्रों का विधान उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था की विद्युत-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त अग्निशमन उपलब्ध कराने के साथ डिग्रेस टेस्ट के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रयोगशाला सम्बन्धित व्यवस्था को चलाने वाले हेतु विद्युत संबंधित के संस्था उपलब्ध कराने गये अभियंता, सुनिश्चित-चालक, कार्मिक, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य व्यवस्था के संबंध में प्रयोग किया जाता है और परिणाम की दुर्घटना कार्यवाही होती है कि संस्था उपलब्ध का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उसका संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के परिसर अथवा निर्माण के दौरान यदि संस्था की भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सामान छात्र-अनुज्ञप्ति/पिछड़ा/विमुक्त-अनुज्ञप्ति के अनुपालनार्थ उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(एच०के०आर० शर्मा)

सचिव

पृष्ठांकन- प्रविष्टि/परिपत्र सम्बद्धता/2022/7918-8455 **दिनांक: 30/06/2022**

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक **B S A COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY**

(एच०के०आर० शर्मा)

सचिव

भारतीय,

प्राविधिक शिक्षा परिषद्,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राविशिक्षपरिषद् सम्बद्धता/2023-24/2000001 लखनऊ: दिनांक: 13-06-2023

‘सम्बद्धता आदेश’

महामहिम राज्यपाल उत्तर-पश्चिमी शिक्षा परिषद् एवं पदेनशिक्षा सचिव,प्राविधिक शिक्षा, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व में सम्बद्धित डिप्लोमा महाविद्यालय उत्तर-पश्चिमी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन निरस्त प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० लखनऊ में सम्बद्धता निरस्त प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में अवगत दिनांक 25-05-2023 एवं दिनांक 02-06-2023 को परिषद् कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु महामहिम राज्यपाल उत्तर-पश्चिमी शिक्षा परिषद्/पदेनशिक्षा सचिव,प्राविधिक शिक्षा, नई दिल्ली द्वारा संस्थानों को प्रदान अनुमोदन निरस्त एवं सम्बद्धता समिति द्वारा दिए गए निर्णय के अनुपालन में संस्थान को सम्बद्धता निरस्त प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में नियुक्त संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पदेनशिक्षा एवं उत्तर-पश्चिमी शिक्षा परिषद् द्वारा सम्बद्धता निरस्त प्रदान की जाती है:-

संस्था का नाम एवं पता : NAVA-JI B A COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY			
क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	पदेन-शिक्षा/उत्तर-पश्चिमी शिक्षा परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद् द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING.	60	60
2	MECHANICAL ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुशासन उ०प्र० द्वारा अंकित समय के पश्चात संस्था उपरोक्त प्रावधानानुसार रिक्तियों-1 दिनांक 14 मई 2023 द्वारा पूर्व में सम्बद्धित डमाया संस्थानों की फीस के विरुद्ध महाविद्यालय/संस्थान में लंबित किए गए प्रवेशों संबंध सम्बद्धता/अ में महाविद्यालय/संस्थान के अधीन रिक्तियों के अधीन सम्बद्धता निरस्त की जाती है।
- ✓ संस्था/ अधीक्षक पदेनशिक्षा उत्तर-पश्चिमी शिक्षा परिषद्/प्राविधिक अध्यापक अधीक्षक, नई दिल्ली द्वारा रिक्तियों की भर्ती जाने वाली शर्तों का पूर्णतया पालन करेगी।
- ✓ अधीक्षक पदेनशिक्षा उत्तर-पश्चिमी शिक्षा परिषद्/प्राविधिक अध्यापक अधीक्षक, नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन संस्थान में सम्बद्धता संबंधित त्रुटियों, भवन, शिक्षक उपकरण, आदि उपलब्ध हैं।
- ✓ संस्था उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद् एवं पदेनशिक्षा शिक्षा परिषद् विभिन्नकर्मचारी पदेनशिक्षा, विभिन्नकर्मचारी प्रशासन, विभिन्न विभिन्नकर्मचारी प्रशासन एवं अकादमिक पद रिक्ति सम्बन्धित कार्य अनुमोदन कमेटी एवं शुल्क निर्धारण कमेटी द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रवेश अध्यापकगण से शुल्क लिया जायेगा, उपरोक्त के अतिरिक्त अध्यापकगणों से शुल्क के सम्बन्ध में संस्था, संस्था एवं शिक्षण द्वारा निर्धारित किये जाने वाली सम्बन्धित प्रवेशों होंगे, और अनुमोदन कमेटी/शिक्षा शुल्क/ पदेनशिक्षा निर्धारण कमेटी द्वारा सत्र 2023-24 हेतु फीस का पूर्णनिर्धारण किया जाता है, इस फीस की गणना से अधिक शुल्क होगी।
- ✓ संस्था में अनुमोदन प्रवेश परीक्षा परिषद् द्वारा नियमित कर्मी की ही प्रवेश किया जायेगा।
- ✓ संस्था की संस्था/संस्था एवं रिक्ति सम्बन्धित के अनुसार निर्धारित एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

(अजीत कुमार सिंह)

सचिव

पृ0सं0- [illegible]/1209/2023-1209/1208 दिनांक: 12-09-2023

प्रतिलिपि-

[illegible] B S A COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

(अजीत कुमार सिंह)

सचिव